

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 16/2017

बउनवान

रामलाल आयु 45 साल पुत्र श्री प्रहलाद जाति—माली नि०—बामनहेडा
तहसील—बारां, जिला—बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार, बारां

(रेस्पॉण्डेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री धर्मेन्द्रसिंह सोलंकी अभिभाषक

2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पॉण्डेंट)

निर्णय दिनांक— 11.10.2018



अपीलांट ने जर्गे अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 14.3.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—बामनहेडा, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 0.10 हेक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 50/-रूपये अर्थदण्ड एवं 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, तथ्यों के सिद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपील के तहत उच्चतरफा पारित किया गया है। सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिला है, कभी बेदखल भी नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय पर आधारित तथ्यों से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील के तहत आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.03.2014 निरस्त फरमाया जाय।

इस फरमान को न्यायालय में रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉण्डेंट को जर्गे सम्मन तलब किया तथा अपील के तहत उच्चतरफा मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विवादित परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों का दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व उच्चतरफा का कार्य उच्चतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित अपील पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील के तहत आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.03.2014 निरस्त फरमाया जाय।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एवं पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड़ दिया है, मौका रिपोर्ट पेश की। साथ ही कथन किया कि अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने हेतु बचनबद्ध है। उसके विरुद्ध कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 542/11 निर्णय दिनांक 23.11.2011 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रुख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते हैं।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा आदेश दिनांक 14.03.2014 से पारित जप्ती, बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रद्द किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 543/14 में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दें तथा तहसीलदार, बारां के कार्यालय में उपस्थित होकर अण्डरटेकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोड़ने से पूर्व अपील न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 14.03.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2014 को सुनाया गया।



(डॉ०एस.पी.सिंह)

सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर, बारां
जिला न्यायालय, बारां

Web Copy - Not Official